उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग–2
संख्या– /XII(2)/2015/90(21)2013
दिनांक देहरादून 03 मार्च,2015

## कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–222/दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा जारी/परिचालित की गयी जिला पंचायतों में मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में निर्धारित समयान्तर्गत 18 कार्मिकों से प्राप्त प्रत्यावेदन/आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत करते हुए उत्तर प्रदेश जिला पंचायत केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग (यथा संशोधित) नियमावली–1995 के नियम–21(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–8(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)के अधीन जिला पंचायतों में मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं की अन्तिम ज्येष्ठता संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निम्नवत प्रख्यापित की जाती है।

यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या–1768/2014 (एस0/एस0) सत्यप्रकाश कोठियाल बनाम राज्य के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

| कम सं0 | आपत्ति करने वाले कनिष्ठ अभियांता का नाम | आपत्ति/अनापत्ति | आपत्ति के निस्तारण के संबंध में टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | सत्य प्रकाश कोठियाल | श्री कोठियाल द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि शासन द्वारा दिनांक 14.10.2014 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 07.12.2011 निर्धारित की गयी वह पूर्णतः गलत है, प्रार्थी का प्रकरण रिट संख्या–1768/2014 मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अतः उपरोक्त तिथि को 8.12.1989 मानते हुए वरिष्ठता सूची में स्थान निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है। | श्री सत्यप्रकाश कोठियाल, का विनियमितिकरण शासन के आदेश संख्या–1069/दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया है। अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत अंतिम ज्येष्ठता सूची मा0 उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। |
| 2 | श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय | श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि शासन द्वारा दिनांक 14.10.2014 को जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कम संख्या–14 पर अस्थाई घोषित किया गया है जबकि शासन के पत्र संख्या–217/दिनांक 14 मार्च, 2012 के अनुसार स्थाई घोषित किया गया है, अतः उक्त त्रुटि को संशोधित कर पदनाम के आगे स्थाई करने का अनुरोध किया गया हैं | श्री पाण्डे द्वारा की गयी आपत्ति के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से पुष्टि करने के उपरांत ज्येष्ठता सूची में स्थायी अंकित किया जाना युक्तिसंगत है। अतः आपत्ति ग्राह्य है। |
| 3 | श्री त्रिलोक सिह भण्डारी | श्री त्रिलोक सिंह भण्डारी द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 22.02.1991 है तथा विनियमितिकरण शासन के आदेश दिनांक 7.12.2011 को किया गया है। अतः मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए ज्येष्ठता सूची में कमांक में 02 में नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। | श्री त्रिलोक सिंह भण्डारी, का विनियमितिकरण शासन के आदेश संख्या–1069/दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया है अतः नियमानुसार आपत्ति ग्राह्य नहीं है। |
| 4 | श्री बी0सी0 छिमवाल | श्री बी0सी0 छिमवाल द्वारा यह आपत्ति गयी है कि उनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि 27.03.1988 है तथा विनियमितिकरण शासन के आदेश दिनांक 7.12.2011 को किया गया है। अतः मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए ज्येष्ठता सूची में कमांक में 02 में नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराय गया है कि उनके द्वारा प्राप्त जे0आर0एन0 विद्यापीठ यूनिवर्सिटी उदयपुर राजस्थान द्वारा प्राप्त की है जिसको शासन के पत्र संख्या–3307/दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 द्वारा सेवा अभिलेखों में दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश (जिलाा पंचायत) केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग नियमावली 1966 की अनुसूची के नियम 5 के कमांक 3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि– "सीधी भर्ती द्वारा राज्य या अर्ह अवर अभियंताओं में से जो अवर अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित कोई अर्हता रखता हो और इस | श्री बी0सी0छिमवाल, का विनियमितिकरण शासन के आदेश संख्या–1069/दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया है। अतः इस संबंध में आपत्ति ग्राह्य नहीं है। उक्त के अतिरिक्त श्री छिमवाल द्वारा प्राप्त बी0टैक0 की उपाधि के संबंध में उत्तर प्रदेश (जिलाा पंचायत) केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग नियमावली 1966 की अनुसूची के नियम 5 के कमांक 3 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर अभियंता के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही के समय 10 वर्ष की ज्येष्ठता दिये जाने पर सक्षम स्तर पर विचार किया जायेगा। |